

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(24)आ.कृ./लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/बी.एफ.सी./2019-20/3644-38/दिनांक : 5/2/19


परिपत्र

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी अधिनस्थ कार्यालयों को उनकी मांग एवं बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय एवं अन्य मदों में बजट आवंटन किया गया था।

IFMS पर उपलब्ध व्यय आंकड़ों के अनुसार अभी तक कई कार्यालयों द्वारा उन्हें आवंटित बजट का उपयोग नहीं किया है, न ही उनके द्वारा उक्त आवंटित बजट को समर्पित किया गया है, जिसके कारण उपलब्ध बजट का उपयोग नहीं हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 समाप्ति की ओर अग्रसर है। अतः सभी अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे उपलब्ध बजट का दिनांक 15.02.2019 तक उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे अथवा विभाग को समर्पित करे। दिनांक 15.02.2019 के पश्चात् ऐसे कार्यालय जिनके द्वारा आवंटित व्यय का औसत व्यय नहीं किया गया है, से आवंटित बजट समर्पित कर लिया जायेगा एवं मांग अनुसार अन्य सम्बन्धित कार्यालयों को आवंटित कर दिया जायेगा।

इसे अति आवश्यक समझा जावे।

  
(ऋतु गुप्ता)  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : प.3(24)आ.कृ./लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/बी.एफ.सी./2019-20/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्राचार्य, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा/उप.नि.कृ.(प्रशिक्षण)टोंक।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि/वनस्पति/गुण नियंत्रण), दुर्गापुरा जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (खण्ड) .....
4. समस्त उप निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण)/(मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला) .....
5. उप निदेशक कृषि (खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र) कोटा।
6. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) .....
7. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद .....
8. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी .....
9. उपनिदेशक कृषि (शष्प) मलिकपुर/चित्तोडगढ़/छत्रपुरा/बूंदी/करणपुर/तबीजी/रामपुरा जोधपुर/ हनुमानगढ़ /लूणकरणसर/उप निदेशक कृषि (रसायन), जोधपुर।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ए.सी.पी.) को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को कृषि विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध करवावे।

  
वित्तीय सलाहकार